परमानेंट एकाउंट नंबर – एक नजर

ईशान अग्रवाल
6th बी, मॉटफोर्ट स्कूल

परमानेंट एकाउंट नंबर या स्थायी खाता संख्या (पैन) एक अक्षरांकीय दस अंकों की संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा एक लैमिनेटेड कार्ड के फार्म में आवंटित की जाती है, जिसमें फोटो के चलते इसे फोटो आई.डी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कार्ड का इस्तेमाल कर भुगतान, टी.डी.एस./टी.सी.एस. क्रेडिट, रिर्टन की आय/धन/उपहार/एफ बी.टी., निर्दिष्ट लेन–देन, पत्राचार आदि के लिए किया जाता है। पैन, इस प्रकार कर विभाग के साथ "व्यक्ति" के लिए एक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है।

शुरू के तीन नंबर – शुरू के तीन अंक अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं यह AAA से लेकर ZZZ तक भी हो सकते हैं। यह अंक कम्प्यूटर अपने आप चयन करता है।

चौथा नंबर – चौथा नंबर कार्ड धारक के स्टेट्स की पहचान करता है। अगर चौथा अंक P है तो यह मान लिया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से लिया गया है। अगर C है तो यह किसी कंपनी को दिया गया है। H का अर्थ है कि किसी अविभाजित हिन्दू परिवार को जारी किया गया है। इस क्रम में यदि F आता है तो वह किसी फर्म को जारी किया गया है। T का अर्थ है कि किसी ट्रस्ट को जारी किया हैं जबकि G का मतलब है वह सरकार से संबंधित है।

पाँचवा नंबर – यह व्यक्ति विशेष के नाम या उपनाम के शीर्षक के पहले अक्षर से लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम अजय कुमार त्यागी है तो पाँचवा अक्षर A या T हो सकता है। महिलाओं के संदर्भ में यदि शादी होने के बाद पैन नंबर में बदलाव के लिए आवेदन करती हैं तो उनका स्टेट्स तो बदल जाता है लेकिन पैन नंबर में कोई बदलाव नहीं होता।

छः से नौ तक के अक्षर – अगले चार अक्षर अनुक्रमिक संख्या 0001 से 9999 तक कुछ भी हो सकते हैं यह व्यक्ति के आवेदन करने वाले दस्तावेज के आधार पर हो सकते हैं।

दसवाँ अंतर – इस अंक के आधार पर आयकर विभाग आयकर दाता एवं उसके कर रिकार्ड से संबंधित सभी अहम जानकारियां प्राप्त करता है। इस अंक के आधार पर आयकर खातों की स्क्रूटनी के काम में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। भारत में पैन कार्ड धारकों का आंकड़ा इस प्रकार है–

नं.	सन्	कुल संख्या (करोड़ में)
1.	2005–06	4.40
2.	2006–07	5.19
3.	2007–08	6.49
4.	2008–09	8.08
5.	2009–10	9.58
6.	2011 तक	13.74